UPSP010136272025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्या0 संख्या 01, (पी.सी. एक्ट) सहारनपुर।

उपस्थित–मनीष कुमार–I (H.J.S.)

I.D.No–UP 6408

दाण्डिक निगरानी संख्या–504/2025

1. मौ0 हसन पुत्र शकरुदीन
2. आलिम पुत्र शकरूदीन
3. दिलशाद पुत्र रूकमूदीन

निवासीगण ग्राम चोरा कला, परगना सुलतानपुर, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर।

...निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण।

बनाम

1. उ०प्र० राज्य।
2. जब्बार पुत्र अलीमुदीन
3. कादिर पुत्र गफ्फार

निवासीगण(विपक्षी सं० 02 व 03) ग्राम चोरा कला, परगना सुलतानपुर, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर। **... उत्तरदातागण/विपक्षीगण।**

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण मौ0 हसन आदि की ओर से उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला सहारनपुर के द्वारा वाद सं० 48/2024 सरकार बनाम मौ0 हसन आदि में पारित आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांकित 18.10.2025 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण के विरूद्ध खाता सं० 66 के 08 कड़ी रकबे से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पारित किया गया है।

2. निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि आदेश विचारण न्यायालय उपजिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.10.2025 खिलाफ कानून व तथ्यों से परे है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुए उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। सजरे में विवादित जगह पर कोई भी सार्वजनिक रास्ता नहीं दिखाया है और न ही सजरे में कोई सार्वजनिक रास्ता ही दर्शाया गया है। सजरा पत्रावली पर दाखिल है। विचारण न्यायालय द्वारा कानूननी मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए, उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। उक्त आधारों पर निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.10.2025 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. उक्त निगरानी के विरूद्ध विपक्षी सं० 02 व 03 की ओर से आपत्ति कागज सं० 14 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया कि, निगरानीकर्ता द्वारा आदेश दिनांकित 18.10.2025 के विरूद्ध की गयी निगरानी उपरोक्त खिलाफ कानून एवं खिलाफ वाकात है, जो झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थनापत्र में विरोधाभाषी कथन किये है। चूँकि विद्वान् न्यायालय द्वारा पूर्व में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित, द्वितीय सहारनपुर द्वारा आपराधिक निगरानी सं० 36/2023 जब्बार बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांकित 23.11.2023 के अनुपालन में उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश दिनांकित 18.10.2025 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। दिनांक 09.05.2022 पर तहसील सदर से आख्य तलब की गयी, जिसमें तहसील सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 15.07.2022 में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया है कि स्थल पर 8 कड़ी से अधिक पर अवैध कब्जा पाया गया है, अर्थात् मूल रुप से 8 कड़ी अधिक पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त स्थल पर अतिक्रमण मौ० हसन व आलिम, दिलशाद काबिज भूमि खसरा सं० 65/1 व 65/2 मूल रकबा 0–5–19 के स्थान पर नक्शा नजरी पर बनी आकृति ए०बी०सी०डी० के अनुसार रकबा 7 बिस्से 8 बिस्वांसी पाया गया, जो मूल रकबे से एक बिस्सा 19 विस्वांसी अधिक है। यदि स्थल पर काबिज मौहम्मद हसन आदि से मूल रास्ते पर किया गया, वैध अतिक्रमण 8 कड़ी से बेदखल किया जाता है, तो खसरा सं० 65 के मूल क्षेत्रफल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। स्थलीय फोटो से भी अवैध कब्जेदारों का अतिक्रमण किया गया भाग प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अवैध अतिक्रण को लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त आख्या के आधार पर वाद की कार्यवाही शुरू की गयी, उसके पश्चात् उपजिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा राजस्व टीम का गठन किया गया तथा राजस्व टीम द्वारा भी दिनांक 23.08.2022 में उपरोक्त बावत भी आख्या प्रेषित की गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा किये गये अवरोध के विषय में धारा 133 जा० फौ० के तहत सशर्त आदेश अवरोध हटाये जाने की बावत पारित किया गया एवं उसके पश्चात पत्रावली पर आये समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् व विद्वान् सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए एवं सी०आर०पी०सी० में दिये गये प्रावधानों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सिद्धान्तों के मद्देनजर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 18.10.2025 पारित किया गया, जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि या अनियमितता नहीं है और न ही ऐसी कोई वैधानिक त्रुटि का उल्लेख निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में दर्शाया गया है। विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.10.2025 के अनुपालन में मौके पर राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.10.2025 में निगरानीकर्तागण द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर किया गया अतिक्रमण निगरानीकर्तागण व विपक्षीगण की मौजूदगी में राजस्व टीम द्वारा हटवा दिया गया है। आख्या दिनांकित 28.10.2025 की फोटो प्रतिलिपि साथ संलग्न है। आदेश दिनांकित 18.10.2025 का मौके पर क्रियान्वयन हो चुका है एवं राजस्व टीम द्वारा मौके से अवैध अतिक्रमण हटवा दिया गया है, इसलिए निगरानी का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः उपरोक्त आधारों पर विपक्षीगण सं० 02 व 03 द्वारा निगरानी खारिज किये जाने की

याचना की गयी।

4. निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आलोच्य आदेश दिनांकित 18.10.2025 की सत्यप्रतिलिपि, आधारकार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी तथा मूल पत्रावली तलब की गयी।

5. मैंने निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधवक्ता (दाण्डिक) की बहस को सुना एवं निगरानी पत्रावली तथा विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का सम्यक रूपेण परिशीलन किया।

समीक्षा एवं निष्कर्ष

6. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण मौ0 हसन आदि की ओर से उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला सहारनपुर के द्वारा वाद सं० 48/2024 सरकार बनाम मौ0 हसन आदि में पारित आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांकित 18.10.2025 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण के विरूद्ध खाता सं० 66 के 08 कड़ी रकबे से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पारित किया गया है।

7. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, भूमि खसरा नम्बर 120 रकबई 1.2520 हे० विपक्षीगण की पुस्तैनी भूमि है। विपक्षीगण व अन्य सहखातेदारों के मध्य उक्त भूमिं खसरा नम्बर 120 व अन्य भूमि के सम्बन्ध में एक तकसीम खाता वाद अन्तर्गत धारा 116 वाद संख्या 4592/2020 निसार अहमद बनाम जब्बार आदि चल चुका है। जो न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2021 से लोक अदालत में राजीनामें के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित हो चुका है। भूमि खसरा नम्बर 120 से जानिब उत्तर में गांव की पुरानी आबादी का खसरा नम्बर 83 है जिसमें गांव की आबादी बनी हुई है। यह कि विपक्षीगण(निगरानीकर्ता) जो कि निहायत चालाक, होशियार, राजनीतिक किस्म के व्यक्ति है, जो कि खसरा नम्बर 83 में स्थित अपनी भूमि को विपक्षीगण की भूमि खसरा नम्बर 120 में अपनी आबादी भूमि बताते है और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा मौके पर खसरा नम्बर 83 की भूमि में निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। मौके पर व सजरे में खसरा नम्बर 83 व खसरा नम्बर 120 के मध्य जो ढोल पूरब पश्चिम लम्बी है, वह एकदम सीधी है, परन्तु विपक्षीगण उपरोक्त डोल को सीधी न होकर तिरछी बता रहे हैं और जबरदस्ती निर्माण कार्य विपक्षीगण के खेत में खसरा नम्बर 120 की तरफ होना बताते हुए निगरानीकर्ता के खसरा नम्बर 120 में नींव खोदने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर व शजरे में ढोल को सीधी, होने व सम्बन्धित तहसील के कर्मचारी से पैमाइश के उपरान्त निर्माण कार्य करने के लिए कहा, जिस पर निगरानीकर्ता आमादा फिसाद हुए और मौके पर जबरदस्ती निर्माण कार्य करने की धमकी देने लगे। उक्त प्रकरण की पैमाईश के सम्बन्ध में इसके लिए प्रार्थी हर समय तैयार है परन्तु इसके विपरीत विपक्षीगण तैयार नहीं है और जबरदस्ती मौके के विपरीत विपक्षी के खेत खसरा नम्बर 120 में जबरदस्ती नींव खोदकर दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उपरोक्त हालात में भौके पर अत्यधिक तनाव बना हुआ है। विपक्षीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 120 में अनाधिकार कब्जा कर रहे है। उक्त के कम में तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 15.07.2022 प्राप्त की गयी

जिसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि नियत दिनांक पर राजस्व टीम के द्वारा स्थल पर पक्ष एंव निगरानीकर्ता की उपस्थिति में राजस्व अभिलेखो का मौके से मिलान किया गया। राजस्व अभिलेखो में खसरा नम्बर 120 संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी 1 (क) अन्तर्गत कृषको का नम्बर है तथा खसरा नम्बर 83 मूल आबादी का खसरा नम्बर है। प्रश्नगत विवाद खसरा नम्बर 83 मूल आबादी के दक्षिण पश्चिम स्थित रास्ते पर पाया गया। प्रश्नगत रास्ता मूल आबादी के अन्दर है। पक्ष–विपक्ष से मौके पर मूल आबादी के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। पक्ष–विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि चौरा कलां की मूल आबादी का खसरा नम्बर 83 तकसीमशुदा है। मूल आबादी खसरा नम्बर 83 का दक्षिण–पश्चिम का सिरा ग्राम चौरा कलां के अंतिम भूचित्र के खसरा नम्बर 120 की पश्चिम दिशा की मेढ़ बिन्दु E, F की पैमाईश की गई जो स्थल पर 470 कड़ी पाई गई जो अंतिम भूचित्र के अनुसार सही पाई गई। तत्पश्चात स्थल पर प्राप्त तकसीमशुदा शजरे व तालिका के अनुसार मूल आबादी के खसरा नम्बर 83 के दक्षिण–पश्चिम के कोने पर खसरा नम्बर 66 रास्ता व रास्ते के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 65 दर्शाया गया है। अभिलेखों के अनुसार खसरा नम्बर 65 दो भागों में 65/1 रकबा 0–1–10 व 65/2 रकबा 0–4–9 अर्थात कुल रकबा 0–5–19 पाया गया, संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार उक्त नम्बरान का पश्चिम दिशा में बिन्दु A, B की दूरी 7 गट्ठे तीन कड़ी पायी गयी, जबकि तालिका के अनुसार कागजात में उक्त दूरी 6 गट्ठे 5 कडी है, अर्थात स्थल पर 8 कडी अधिक पर अवैध कब्जा पाया गया, इसी प्रकार प्रश्नगत स्थल पर पूरब दिशा में बिन्दु C, D की दूरी 7 गट्ठे 8 कड़ी पायी गयी, जो तालिका में 7 गट्ठे है, अर्थात मूल दूरी से 8 कड़ी अधिक पर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त स्थल पर अतिक्रमणकर्ता मौहम्मद हसन व आलिम पुत्रगण सकरूद्दीन व दिलशाद पुत्र रूकनुद्दीन निवासी ग्राम का काबिज भूमि खसरा नम्बर 65/1 व 65/2 मूल रकबा 0–5–19 के स्थान पर नजरी नक्शे पर बनी आकृति A, B, C, D के अनुसार रकबा 7 बिस्वे 8 बिस्वांसी पाया गया, जो मूल रकबे से 1 बिस्वा 19 बिस्वां से अधिक है। यदि स्थल पर काबिज मौ० हसन आदि से मूल रास्ते में किया गया अवैध अतिक्रमण 08 कड़ी से बेदखल किया जाता है, तो खसरा नम्बर 65 के मूल क्षेत्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। स्थलीय फोटो से भी अवैध कब्जेदारो का अतिक्रमण किया गया भाग पृथक से दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार संलग्न फोटोग्राफ से भी स्पष्ट पड़ता है। प्रश्नगत स्थल पर दक्षिण–पश्चिम कोने पर स्थित बिन्दु B भी लगभग 3 फीट आगे रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 62 की तरफ आगे प्रतीत होता है। प्रश्नगत स्थल पर खसरा नम्बर 66 रास्ते की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को लाल स्याही से दर्शाया गया और खसरा नम्बर 65 में रास्ते पर काबिज मौहम्मद हसन आदि से 8 कडी से बेदखल/अतिक्रमण करने के उपरान्त काबिज व्यक्तियों के रकबे पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ने के कारण अतिक्रमण हटाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। उक्त आधार पर निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया।

8. निगरानीकर्तागण की ओर से मुख्य रूप से निगरानी में यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है और धारा 134 दण्ड

प्रक्रिया संहिता व धारा 141 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया है, जबकि उक्त दोनों प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के हैं, जिनका पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए था। तहसील रिपोर्ट पर जो पत्रावली दाखिल है, उसमें ऐसा कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं दिखाया गया है और ना ही पूरी जमीन की कोई पैमाईश करायी गयी है, जबकि उत्तरदातागण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवर देने के पश्चात आलोच्य आदेश पारित किया गया है।

9. धारा 137 दण्ड प्रक्रिया संहिता– जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है, वहाँ प्रक्रिया–(1) जहाँ किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यसेन्स या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरूद्ध वह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर, उससे प्रश्न करेगा कि किया वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार करता है और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने के पहले उस बात की जाँच करेगा।

(2) यदि ऐसी जाँच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसे इन्कार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसा कोई साक्ष् नहीं है तो वह धारा 138 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(3) मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रश्न किए जाने पर, जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार नहीं करता है या ऐसा इन्कार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, उसे पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में ऐसा कोई इन्कार नहीं करने दिया जाएगा।

10. धारा 137 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपधारा (3) यह प्रावधानित करती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रश्न किए जाने पर, जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार नहीं करता है या ऐसा इन्कार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, उसे पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में ऐसा कोई इन्कार नहीं करने दिया जाएगा। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेश पत्रिका के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली दिनांक 01.12.2023 को विपक्षी के साक्ष्य हेतु नियत की गयी और पत्रावली लगातार विपक्षी के साक्ष्य हेतु नियत चलती रही तथा दिनांक 08.01.2025 को पक्षकारों द्वारा अपना साक्ष्य पूर्ण बताया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया और जो साक्ष्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसी साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय व आदेश पारित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया है। अतः निगरानीकर्तागण के इस कथन में कोई बल नहीं है कि उसे साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले की जाँच भी की गयी है, जिससे निगरानीकर्तागण

के तर्कों में कोई बल नहीं है।

11. निगरानीकर्तागण की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 141 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन नहीं किया गया।

धारा 141 दण्ड प्रक्रिया संहिता– आदेश अन्तिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम–(1) जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन आदेश अन्तिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध वह आदेश दिया गया है, उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निदिष्ट कार्य इतने समय के अन्दर करे, जितना सूचना में नियत किया जाएगा और उसे इत्तिला देगा कि अवज्ञा करने पर वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 द्वारा उपबन्धित शास्ति का भागी होगा।

(2) यदि ऐसा कार्य नियत समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य सम्पत्ति के, जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अन्दर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम सम्पत्ति के करस्थम और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है और यदि ऐसी अन्य सम्पत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा, जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति पाई जाती है।

(3) इस धारा के अधीन सदभावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा।

12. आलोच्य निर्णय के अवलोकन से यह विदित होता है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित कर तहसीलदार सदर जिला सहारनपुर की आख्या दिनांकित 15.07.2022 की पुष्टि करते हुए बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं और सात दिन के अन्दर अतिक्रमण को हटाकर अनुपालन आख्या मांगी गयी है। धारा 141 दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपधारा (1) में यद्यपि यह वर्णित किया गया है कि मजिस्ट्रेट यह अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निदिष्ट कार्य इतने समय के अन्दर करे, जितना सूचना में नियत किया जाए, परन्तु इस धारा की उपधारा (3) यह भी प्रावधानित करती है कि इस धारा के अधीन सदभावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा। आलोच्य निर्णय व आदेश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सात दिन का समय अतिक्रमण हटाने का नियत किया गया है। वह अतिक्रमण यह तो निगरानीकर्तागण द्वारा सात दिन के अन्दर स्वयं हटा लिया जाता परन्तु अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सात दिन के अन्दर आख्या आहूत की गयी। यद्यपि आलोच्य आदेश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण को किसी विहित अवधि में अतिक्रमण हटाने का आदेश नहीं दिया गया है और सीधे ही अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश पारित किये गये हैं। यह कार्यवाही धारा 141 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सदभावी मानी जा सकती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दौरान बहस पक्षकारों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि मौके से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अतिक्रमण हटाए जाने की आख्या पत्रावली पर दाखिल की गयी है। ऐसी स्थिति में यह

निगरानी औचित्यविहीन भी हो गई है। अतः इस प्रकार निगरानीकर्तागण के उक्त तर्क में भी कोई बल प्रतीत नहीं हो रहा है।

13. निगरानीकर्तागण की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि तहसीलदार की रिपोर्ट जो पत्रावली पर दाखिल है, उसमें ऐसा कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं दिखाया गया है और ना ही पूरी जमीन की कोई पैमाईश करायी गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार की आख्या मय नक्शा कागज संख्या 3/7 से कागज संख्या 3/11 पत्रावली पर उपलब्ध है। इस आख्या में रास्ते पर 8 कड़ी से अधिक पर अवैध कब्जा होना पाया गया, जिस कारण रास्ते की चौड़ाई कम हो गयी। तहसीलदार की आख्या में नापतौल का मानचित्र भी संलग्न है और तहसीलदार की आख्या के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि इस आख्या को अन्देखा किया जा सके या इस पर अविश्वास किया जा सके। इस प्रकार निगरानीकर्तागण के उक्त तर्क में भी कोई बल प्रतीत नहीं हो रहा है।

14. उपरोक्त समीक्षा से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आदेश क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, विधि–अनुसार पारित किया गया है। आलोच्य निर्णय एवं आदेश में किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार सम्बन्धी, विधि सम्बन्धी त्रुटि का होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार मैं निगरानी में कोई बल नहीं पाता हूँ। निगरानी में कोई बल न होने के कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है तथा आलोच्य आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

15. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं0 504/2025 मौ0 हसन आदि बनाम सरकार आदि, निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला सहारनपुर के द्वारा वाद सं० 48/2024 सरकार बनाम मौ0 हसन आदि में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 18.10.2025 पुष्ट किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की एक प्रति सहित अविलम्ब वापस भेजा जाये।

दिनांक–18.08.2026

(मनीष कुमार–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, विशेष न्या0 संख्या–01,
(पी.सी. एक्ट) सहारनपुर।
I.D.No–UP 6408

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–18.08.2026

(मनीष कुमार–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, विशेष न्या0 संख्या–01,
(पी.सी. एक्ट) सहारनपुर।
I.D.No–UP 6408

Digitally signed by Manish Kumar
Date: 2026.08.18 16:32:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court